

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्र :- राजस्व / 645

दिनांक :- 27.8.2025

आदेश

प्रार्थी दितु खान पुत्र यारमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया के खाता "कस्ती प्रार्थना" पत्र पर तहसीलदार संगरिया के पत्रांक 3014 दिनांक 23.07.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 16 एफटीपी वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को यदि किसी समक्ष न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो मन्लिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	शेरगढ़	चक 16 एफटीपी के खाता संख्या 07/03 जमाबन्दी सम्बत 2073-2076	अल्ला दिता पुत्र यार मोहम्मद	दितु खान पुत्र यार मोहम्मद

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।



(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रमांक :- सम / 146

दिनांक :- 27.8.2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।



उपखण्ड अधिकारी
संगरिया